



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2019/श्रावण 4, 1941

No. 268]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2019/SHRAVANA 4, 1941

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 24 जुलाई, 2019

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) विनियम, 2019

फा.सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/9/160/2019.- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 2(1)(च), 14 और 26 के साथ पठित समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धाराओं 42डी और 42ई के साथ पठित धारा 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद इसके द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

1.1 ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) विनियम, 2019 कहलाएँगे।

1.2 ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

उद्देश्य: इन विनियमों का उद्देश्य देश में बीमा व्यापन को बढ़ाने का उद्देश्य पूरा करने के लिए बीमा विपणन फर्मों की सहायता करने हेतु उन्हें एक समर्थकारी परिवेश उपलब्ध कराने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 में संशोधन करना है।

2. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 में,

2.1 विनियम 2 में विनियम 2.3 के बाद निम्नलिखित उपबंध निविष्ट किया जाएगा,

अर्थात् :

“2.3क “आकांक्षापूर्ण जिला” से नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा इस प्रकार अभिहित जिला अथवा कोई अन्य आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला, जो कि प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त हो, अभिप्रेत है।”

2.2 विनियम 2.9 में, शब्द “तथा इसके प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया वैध प्रमाणपत्र धारण करता है” हटाये जाएँगे।

2.3 विनियम 2.11 में, शब्द “कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करने के लिए” को “कार्यकलाप करने के लिए” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2.4 विनियम 3(क) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“ 3(क)(i) बीमाकर्ताओं के साथ तालमेल व्यवस्था:

बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) प्राधिकरण को सूचित करते हुए किसी भी समय अधिकतम दो जीवन बीमाकर्ताओं, दो साधारण बीमाकर्ताओं और दो स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के बीमा उत्पादों की अपेक्षा और प्रापण करने के प्रयोजन के लिए बीमा विक्रेताओं (आईएसपी) को नियुक्त करेंगे।

बशर्ते कि बीमा विपणन फर्म के पास दो साधारण बीमाकर्ताओं के अतिरिक्त, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. (एआईसी) और निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. (ईसीजीसी) के साथ वचनबद्ध होने का विकल्प होगा।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि बीमाकर्ताओं के साथ वचनबद्धता में कोई भी परिवर्तन बीमा विपणन फर्म और बीमाकर्ता के बीच किये गये करार की शर्तों के द्वारा नियंत्रित होगा जो करार के निरसन/समापन/जारी न रखने की स्थिति में संबंधित बीमाकर्ता द्वारा वर्तमान पालिसीधारकों की सर्विसिंग के लिए उपयुक्त व्यवस्थाओं के साथ होगा।

बीमा विपणन फर्म बीमाकर्ताओं के साथ वचनबद्धता में ऐसे किसी भी परिवर्तन की सूचना प्राधिकरण को इस आशय के लिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेट में देगा।

(ii) बीमा विपणन फर्मों के लिए अनुमत उत्पाद:

बीमा विपणन फर्म को निम्नलिखित की अपेक्षा अथवा प्रापण करने की अनुमति होगी:

1. गैर-ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा और काम्बी उत्पादों सहित, वैयक्तिक और / या खुदरा आधार पर बेचे जानेवाले सभी प्रकार के उत्पाद।
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए संपत्ति, सामूहिक वैयक्तिक दुर्घटना, सामूहिक स्वास्थ्य, जीएसएलआई और मीयादी बीमा पालिसियाँ। बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) को एमएसएमई को छोड़कर किसी भी खंड के लिए व्यवसाय की वाणिज्यिक व्यवस्थाओं की अपेक्षा और प्रापण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्पष्टीकरण: इन विनियमों के प्रयोजन के लिए,

क. “काम्बी उत्पाद” से प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रूप में जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा के उत्पादों का कोई भी संयोजन अभिप्रेत है।

ख. “सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम” का अर्थ समय-समय पर यथासंशोधित “सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006” में परिभाषित रूप में होगा।”

2.5 विनियम 3(ख)(i) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“बीमाकर्ताओं के ऐसे कार्यकलाप करना जैसे कि समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा कार्यकलापों का बाह्यस्रोतीकरण) विनियम, 2017 में अनुमत हैं;”

2.6 विनियम 3(ख)(iii) छोड़ दिया जाएगा।

2.7 विनियम 4.1(ख) में शब्द “और लागू कर” छोड़ दिये जाएँगे।

2.8 विनियम 4.1(ड) छोड़ दिया जाएगा।

2.9 विनियम 4.1(च) में, शब्द “बीमा विपणन फर्म” के बाद निम्नलिखित को निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् : **“यदि बीमा विपणन फर्म बीमा रिपोज़िटरी का अनुमोदित व्यक्ति बनने का प्रस्ताव करता है”**

2.10 विनियम 6.1 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“आवेदक के पास निम्नलिखित की निवल मालियत (नेट वर्थ) होगी:

क. पाँच लाख रुपये से अन्यून, यदि आवेदक केवल एक ही जिले के लिए विकल्प दे रहा है, जो एक आकांक्षापूर्ण जिला है।

बशर्ते कि रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के समय आकांक्षापूर्ण जिले की स्थिति में परिवर्तन से उत्पन्न होनेवाली निवल मालियत में वृद्धि अधिदेशात्मक है।

ख. अन्य सभी मामलों के लिए दस लाख रुपये से अन्यून।

स्पष्टीकरण: इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, “निवल मालियत” (नेट वर्थ) का अर्थ वही होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 में उसके लिए दिया गया है तथा समय-समय पर यथासंशोधित रूप में होगा।”

2.11 विनियम 6.3 में शब्द “किसी भी समय बीमा विपणन फर्म की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी अथवा अंशदान के उनचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा” को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : **“ऐसे प्रतिशत की सीमाओं से अधिक नहीं होगा जैसा कि भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) नियम, 2015 के अधीन समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित हो।”**

2.12 विनियम 7 में, विनियम 7.5 के बाद निम्नलिखित उपबंध निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :

“7.6 प्रधान अधिकारी के त्यागपत्र अथवा सेवासमाप्ति अथवा मृत्यु होने पर, बीमा विपणन फर्म नये प्रधान अधिकारी की नियुक्ति शीघ्रातिशीघ्र करने के लिए प्रयास करेगा तथा 60 दिन से अनधिक अवधि के अंदर प्राधिकरण से अनुमोदन की अपेक्षा करेगा।

बशर्ते कि एक प्रधान अधिकारी की अनुपस्थिति में बीमा विपणन फर्म के एक पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंध भागीदार अथवा किसी अन्य वरिष्ठ पदनामित अधिकारी को प्राधिकरण को सूचित करते हुए केवल विनियामक अनुपालन पूरा करने के लिए प्रधान अधिकारी के कार्य करने और कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया जाए; तथा वह तब तक बीमा व्यवसाय की अपेक्षा नहीं करेगा जब तक वह भी आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करता और परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता तथा प्रधान अधिकारी के सभी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता।

प्रधान अधिकारी का परिवर्तन करने के लिए अनुरोध इस आशय के लिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेट में किया जाएगा।”

2.13 विनियम 9.2 में, शब्द “न्यूनतम 10 लाख रुपये के अधीन” निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किये जाएँगे, अर्थात् : **“पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए लागू निवल मालियत (नेट वर्थ) की अपेक्षा के समान न्यूनतम राशि के अधीन”**

2.14 विनियम 11.1 में, शब्द “केवल दो जीवन, दो साधारण और दो स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के” का प्रतिस्थापन निम्नलिखित शब्दों से किया जाएगा, अर्थात् : **“इन विनियमों के विनियम 3(क) के अनुसार”**

- 2.15 विनियम 11.7 में, शब्द “एफएसई” छोड़ दिया जाएगा।
- 2.16 विनियम 12.1 में, शब्द “प्राधिकरण द्वारा उसे निलंबित अथवा निरस्त नहीं किया जाता है” के बाद निम्नलिखित शब्द निविष्ट किये जाएँगे, अर्थात् : **“अथवा बीमा विपणन फर्म द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया जाता”**
- 2.17 विनियम 12.3 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
- “यदि प्राधिकरण किसी बीमा विपणन फर्म के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित अथवा निरस्त करता है, अथवा किसी बीमा विपणन फर्म के रजिस्ट्रीकरण के अभ्यर्पण को स्वीकार करता है, तो उक्त बीमा विपणन फर्म नये बीमा व्यवसाय की अपेक्षा (सलिसिट) करना समाप्त करेगा तथा वर्तमान पालिसियों के लिए सेवा प्रदान करना छह महीने के अवधि के लिए जारी रखेगा जिसके अंदर बीमा विपणन फर्म द्वारा संबंधित बीमाकर्ताओं द्वारा अथवा प्राधिकरण के अनुमोदन से किसी अन्य मध्यवर्ती द्वारा संविदाओं के संबंध में कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।”**
- 2.18 विनियम 13.3 और विनियम 15.3 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किये जाएँगे, अर्थात् :
- “प्राधिकरण के आदेश से असंतुष्ट कोई भी आवेदक प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) को अपील प्रस्तुत कर सकता है।”**
- 2.19 विनियम 13.4 और विनियम 15.4 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
- “यदि आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक आवेदन की अस्वीकृति के आदेश के विरुद्ध अपील न करने का चयन करता है अथवा यदि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण अपील को अस्वीकृत करता है, तो आवेदक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक नया आवेदन प्राधिकरण अथवा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसी स्थिति हो, के ऐसे आदेश की प्रभावी तारीख से एक वर्ष समाप्त होने के बाद प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।”**
- 2.20 विनियम 13.5 और विनियम 13.6 छोड़ दिये जाएँगे।
- 2.21 विनियम 14.2(क) में शब्द “एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा” से पहले निम्नलिखित को निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :
“आवेदक”
- 2.22 विनियम 14.3 में, शब्द “और सेवा कर” छोड़ दिये जाएँगे। दूसरे परंतुक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : **“परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि प्राधिकरण 60 दिन के बाद, लेकिन रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से एक वर्ष से पहले प्राप्त आवेदनों पर गुण-दोष के आधार पर तथा सात सौ पचास रुपये के अर्थदंड का भुगतान करने पर विचार कर सकता है।”**
- 2.23 विनियम 15.5 और विनियम 15.6 छोड़ दिये जाएँगे।
- 2.24 विनियम 25 में शब्द “10 प्रतिशत से अधिक” निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किये जाएँगे, अर्थात् : **“25 प्रतिशत से अधिक”**।
- 2.25 विनियम 26 में, शब्द “निम्नलिखित अभिलेखों का रखरखाव” के बाद निम्नलिखित को निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् : **“भौतिक रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा दोनों में”**; शब्द “पीएमएलए” को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् **“घन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002”**; शब्द “एसीआर के साथ” को शब्द **“विधिवत्”** से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 2.26 विनियम 27 में, शीर्षक में शब्द “बीमा विपणन फर्म द्वारा” छोड़ दिये जाएँगे।

2.27 विनियम 27.1 में शब्द “निर्धारित” को शब्द “निनिर्दिष्ट” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2.28 विनियम 27.2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“बीमा विपणन फर्म निम्नलिखित को प्राप्त करने और उनकी निगरानी करने की क्षमता के साथ आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियाँ स्थापित करेगा:

- क) बीमा विपणन फर्म द्वारा बीमा विक्रेता (आईएसपी) को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान;
- ख) बीमा विपणन फर्म के रजिस्टर में दर्ज प्रत्येक बीमा विक्रेता (आईएसपी) का विवरण, जब तक कि वह मृत्यु अथवा सेवासमाप्ति अथवा बीमा विपणन फर्म की सेवाओं से त्यागपत्र के कारण बीमा विपणन फर्म के बीमा विक्रेता (आईएसपी) के रूप में रहना समाप्त न करे, जो ऐसी घटना से 15 दिन के अंदर प्राधिकरण को सूचित करने के अधीन होगा। बीमा विपणन फर्म यह सुनिश्चित करेगा कि हर समय कम से कम एक बीमा विक्रेता (आईएसपी) प्रति कार्यालय रहेगा। तथापि, मृत्यु अथवा सेवासमाप्ति अथवा बीमा विक्रेता (आईएसपी) के आकस्मिक निर्गम के मामले में बीमा विपणन फर्म तत्काल, परंतु बीमा विक्रेता (आईएसपी) की मृत्यु/सेवासमाप्ति/बीमा विक्रेता (आईएसपी) के निर्गम से 60 दिन से अनधिक अवधि में एक बीमा विक्रेता (आईएसपी) की नियुक्ति करेगा तथा कोई असुविधा उत्पन्न किये बिना अपने वर्तमान पालिसीधारकों को निरंतर सेवाएँ प्रदान करेगा।
- ग) बीमा विक्रेताओं (आईएसपी) का कोई परिवर्धन भी प्राधिकरण को नियुक्ति से 15 दिन के अंदर सूचित किया जाएगा।”

2.29 विनियम 27 में, विनियम 27.2 के बाद निम्नलिखित उपबंध निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :

“27.3 प्राधिकरण के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व

(क) प्रत्येक बीमाकर्ता

- i. प्राधिकरण के पास वार्षिक रूप से बीमा के व्यापन के लिए बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ) के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा बनाई गई नीति की एक प्रति फाइल करेगा।
- ii. ऊपर खंड (i) में बताये गये रूप में प्रस्तुत की गई नीति में यदि कोई परिवर्तन किये जाते हैं, तो उसके कारणों सहित ऐसे परिवर्तन से 15 दिन के अंदर प्राधिकरण के पास फाइल करेगा।

(ख) किसी बीमा विपणन फर्म को रजिस्ट्रीकरण जारी करने के बाद यदि बीमाकर्ता को किसी घोखाधड़ी की घटना अथवा बीमा विपणन फर्म द्वारा आचरण संहिता के उल्लंघन के बारे में पता चलता है, तो बीमाकर्ता ऐसे उल्लंघन के संबंध में विस्तृत जाँच करेगा, तथा 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को सिफारिशों के साथ विस्तृत गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।”

2.30 अनुसूची I के भाग I में, खंड (ड) और (च) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“(ड) जिस वर्ष में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है उससे पूर्ववर्ती दो वर्षों के बीमा अनुभव;

(च) जिस वर्ष में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है उससे पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अनुभव के साथ ज्ञातक।”

2.31 अनुसूची I के भाग I में खंड (च) के बाद निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“(छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)/ एआईसीटीई/ किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान / विश्वविद्यालय से प्राप्त व्यवसाय प्रशासन में मास्टर उपाधि अथवा उसकी समकक्ष योग्यता; अथवा

(ज) भारतीय सनदी लेखाकार संघ, नई दिल्ली का एसोसिएट / फेलो; अथवा

(झ) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, कोलकाता का एसोसिएट / फेलो; अथवा

(ञ) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, नई दिल्ली का कार्यकारी / व्यवसायी; अथवा

(ट) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य योग्यता। "

2.32 अनुसूची I के भाग II में, खंड (ग) के बाद निम्नलिखित को निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :

"(घ) यदि प्रस्तावित प्रधान अधिकारी ने एक बीमा दलाली कंपनी / कारपोरेट एजेंट / वेब संग्राहक के प्रधान अधिकारी के लिए अपेक्षित रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे बीमा विपणन फर्म का प्रधान अधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा की अपेक्षा से छूट दी जाएगी।

बशर्ते कि बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) के प्रधान अधिकारी के रूप में आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती पाँच वर्ष की अवधि के अंदर उक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो और परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो।"

2.33 अनुसूची II के भाग I में, खंड (ग) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"बीमा विपणन फर्म द्वारा नियुक्त बीमा विक्रेता (आईएसपी) को उन बीमाकर्ताओं के बीमा उत्पादों की अपेक्षा और प्रापण करने के लिए अनुमति दी जाती है जिनके साथ बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) ने तालमेल / करार किया हो।"

2.34 अनुसूची II के भाग II में, खंड (ग) में शब्द 'अधिवासी' को निम्नलिखित शब्द अर्थात् "निवासी" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2.35 अनुसूची IV के भाग I में, खंड (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"बीमाकर्ता द्वारा बीमा विपणन फर्म को पारिश्रमिक और / या प्रतिफल का भुगतान भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार होगा।

इसके अतिरिक्त, बीमा विपणन फर्म जीवन बीमाकर्ताओं से उनके बीमा विक्रेताओं (आईएसपी) की भर्ती, प्रशिक्षण और परामर्श (मेंटरिंग) के लिए व्ययों की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। यह प्रतिपूर्ति जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) द्वारा प्राप्त प्रथम वर्ष कमीशन के 50 प्रतिशत और नवीकरण कमीशन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।"

2.36 अनुसूची IV के भाग II में, खंड (1) के उप-खंड (i) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"बीमा विपणन फर्म द्वारा नियुक्त प्रत्येक बीमा विक्रेता (आईएसपी) को लागू कानूनों के अनुसार एक नियत न्यूनतम मासिक वेतन अदा किया जाएगा। बीमा विपणन फर्म और बीमा विक्रेता (आईएसपी) के बीच की गई व्यवस्था के आधार पर नियत मासिक वेतन से अधिक परिवर्ती वेतन भी देय हो सकता है।"

2.37 अनुसूची IV के भाग II में, खंड (2) के उप-खंड (i) को छोड़ दिया जाएगा तथा उप-खंड (ii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"एक वैयक्तिक एजेंट स्थानांतरण नहीं कर सकता अथवा प्रधान अधिकारी / बीमा विक्रेता (आईएसपी) / प्रबंध भागीदार / निदेशक के रूप में बीमा विपणन फर्म में कार्यग्रहण नहीं कर सकता, जब तक वह वर्तमान एजेंसी नियुक्ति से त्यागपत्र नहीं देता और इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता।

बशर्ते कि स्थानांतरण करनेवाले अथवा किसी बीमा विपणन फर्म में कार्यग्रहण करनेवाले एजेंट के एजेंसी लाभ जारी रखना संबंधित बीमाकर्ताओं की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।"

2.38 अनुसूची IV के भाग II में, खंड (2) के उप-खंड (iii) में, शब्द "लाइसेंसप्राप्त" को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : "नियुक्त"

2.39 अनुसूची IV के भाग III में, खंड (1) में शब्द "अधिवास" निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : "निवास" तथा खंड (2) और (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(2) "क्षेत्र" की परिभाषा उस जिले के रूप में की गई है जिसके लिए बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण वैध है। रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण के लिए एक राज्य के अंदर अधिकतम तीन जिलों की अनुमति है।

(3) बीमा विपणन फर्म द्वारा चयनित क्षेत्र का उल्लेख प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन फार्म ए और नवीकरण आवेदन फार्म एए में स्पष्ट रूप से किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि आवेदक एक से अधिक जिलों के लिए विकल्प दे रहा है, तो उनमें से कम से कम एक जिला आकांक्षापूर्ण होना चाहिए।

आगे यह भी शर्त होगी कि बीमा विपणन फर्म द्वारा कार्यालय का कोई परिवर्धन अथवा पंजीकृत पते में परिवर्तन केवल प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के साथ ही किया जाएगा। कार्यालय के परिवर्धन अथवा पंजीकृत पते में परिवर्तन के लिए अनुरोध प्राधिकरण को इस आशय के लिए विनिर्दिष्ट किये जानेवाले फार्मेट में प्रस्तुत किया जाएगा।"

2.40 अनुसूची IV के भाग III में, खंड (5) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन फाइल करते समय बीमा विपणन फर्म अधिकतम तीन जिलों के अधीन अधिक क्षेत्रों के लिए आवेदन कर सकता है।"

2.41 अनुसूची IV के भाग III में, खंड (6) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(6) बीमा विपणन फर्म श्रमिक शक्ति के अभिनियोजन सहित; विकल्प दिये गये क्षेत्र में स्थापित किये जानेवाले कार्यालयों का विवरण नये रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण के लिए आवेदन फार्म में विनिर्दिष्ट करेगा। नवीकरण के समय विकल्प दिये गये अतिरिक्त क्षेत्रों के संबंध में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि बीमा विपणन फर्म के पास एक से अधिक कार्यालय हैं, तो वह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक बीमा विक्रेता (आईएसपी) होगा।"

2.42 अनुसूची V के भाग II में, खंड (क) का उप-खंड (ii) और (iii) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किये जाएँगे, अर्थात् :

"ii. बीमाकर्ताओं के साथ वचनबद्धता में कोई परिवर्तन;

iii. बीमा विक्रेताओं (आईएसपी) का कोई परिवर्धन अथवा विलोपन; "

2.43 अनुसूची VIII के भाग II में,

क. खंड 5 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"प्राधिकरण के आदेश से असंतुष्ट बीमा विपणन फर्म प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है।"

ख. खंड 6 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"यदि उपर्युक्त खंड 5 के अंतर्गत किये गये आवेदन पर विचार करने के बाद प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण अपील को अस्वीकृत करता है, तो आवेदक रजिस्ट्रीकरण प्रदान के लिए एक नया आवेदन अंतिम अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के बाद ही प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।"

ग. खंड 7 छोड़ दिया जाएगा।

घ. खंड 8 छोड़ दिया जाएगा।

2.44 अनुसूची X में, 4(ख) छोड़ दिया जाएगा।

2.45 फार्म-ए में,

क) खंड 1.6 के अंतर्गत सारणी निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

“

क्रम सं.	कार्यकलापों का विवरण	जहाँ लागू हो, वहाँ 'टिक' लगाएँ
1.	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा कार्यकलापों का बाह्यस्रोतीकरण) विनियम, 2017 के अनुसार अनुमत रूप में बीमाकर्ताओं के बैंक आफिस कार्यकलाप करना	
2.	बीमा रिपोज़िटरियों का अनुमोदित व्यक्ति बनना	

“

ख) खंड 2.5 शब्द “(बीमा विपणन फर्म और उनके अधीन कार्य करनेवाले आईएसपी उन बैंकों के पास खाता खोलें जिन्होंने निगरानी के लिए नियमित आधार पर बीमा विपणन फर्म द्वारा आईएसपी को किये गये भुगतानों से संबंधित सूचना देने के लिए प्राधिकरण के साथ करार किया है)” छोड़ दिये जाएँगे।

2.46 अनुबंध-1 में, क्रम सं. (क) शब्द 'एफएमसी' छोड़ दिया जाएगा।

2.47 फार्म बी में, खंड 2, मद (ग) के अंतर्गत सारणी छोड़ दी जाएगी।

2.48 फार्म सी में, खंड 2, मद (ग) के अंतर्गत सारणी छोड़ दी जाएगी।

2.49 फार्म डी में, खंड 3, मद (ग) के अंतर्गत सारणी छोड़ दी जाएगी।

2.50 फार्म डी में, खंड 4 छोड़ दिया जाएगा।

2.51 फार्म ए में, खंड 2.5 में शब्द “(भारतीय स्टेट बैंक)” छोड़ दिया जाएगा।

2.52 “बीमा विपणन फर्म के लिए बीमा विक्रेता के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाणपत्र”

शीर्षक से युक्त फार्म छोड़ दिया जाएगा।

डॉ. सुभाष सी. खुंटिया, अध्यक्ष

[विज्ञापन. III /4/असा./151/19]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 24th July, 2019

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) (Amendment) Regulations, 2019.

F. No. IRDAI/Reg/9/160/2019.— In exercise of the powers conferred by Section 114A read with Sec.42 D and 42 E of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), as amended from time to time, read with Sections 2(1)(f), 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), as amended from time to time, the Authority

in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following amendments to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015, namely:

1. Short title and commencement:

- 1.1 These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) (Amendment) Regulations, 2019.
- 1.2 They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Objective: The objective of these Regulations is to amend the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 to provide an enabling environment to the Insurance Marketing Firms in order to help them achieve the objective of increasing insurance penetration in the country.

2. In the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015,

2.1 In Regulation 2, the following provision shall be inserted after Regulation 2.3, namely:

“2.3A “Aspirational District” means a district designated as such by the NITI Aayog, Government of India or any other economically backward district, as may be recognized by the Authority.”

2.2 In Regulation 2.9, the words “and who holds a valid certificate issued by the Authority for the purposes of the same” shall be omitted.

2.3 In Regulation 2.11, the words “supervise the activities” shall be substituted, namely: **“carry out the functions”**.

2.4 Regulation 3(a) shall be substituted, namely:

“3(a)(i) Tie-ups with insurers:

The Insurance Marketing Firms (IMF) shall engage Insurance Sales Persons (ISP) for the purpose of soliciting and procuring insurance products of maximum of two Life insurers, two General insurers and two Health insurers at any point of time, under intimation to the Authority.

Provided that in addition to two General insurers, Insurance Marketing Firm shall have option to engage with Agriculture Insurance Company of India Ltd. (AIC) and Export Credit Guarantee Corporation Ltd. (ECGC).

Provided further that any change in the engagement with the insurers shall be governed by the terms of the agreement entered into between the Insurance Marketing Firm and the insurer, with suitable arrangements for servicing existing policyholders by the concerned insurer, in case of cancellation/termination/discontinuity of agreement.

The Insurance Marketing Firm shall intimate the Authority of any such change in the engagement with insurers in the format specified by the Authority in this behalf. “

(ii) **Products allowed for Insurance Marketing Firms:**

The Insurance Marketing Firm shall be allowed to solicit or procure:

1. all kinds of products sold on individual and / or retail basis, including crop insurance for non-loanee farmers and combi products.
2. property, group personal accident, group health, GSLI and term insurance policies for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). The IMF shall not be allowed to solicit and procure commercial lines of business for any segment except for MSMEs.

Explanation: For the purpose of these Regulations,

- a. *“Combi products” mean any combination of products of life, general and health insurance as approved by the Authority.*
- b. *“Micro, Small and Medium Enterprises” shall have the meaning as defined in ‘The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006’, as amended from time to time.”*

2.5 Regulation 3(b)(i) shall be substituted, namely:

“undertaking such activities of insurers as allowed in the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Outsourcing of Activities by Indian Insurers) Regulations, 2017, as amended from time to time;”

- 2.6 Regulation 3(b)(iii) shall be omitted.
- 2.7 In Regulation 4.1(b), the words “plus applicable tax” shall be omitted.
- 2.8 Regulation 4.1(e) shall be omitted.
- 2.9 In Regulation 4.1(f), after the words “Insurance Marketing Firm”, the following shall be inserted, namely: “, **if the Insurance Marketing firm proposes to become approved person of Insurance Repository**”
- 2.10 Regulation 6.1 shall be substituted, namely:
“The applicant shall have a net worth of:
- a. Not less than five lakh rupees, if the applicant is opting for only one district, which is an aspirational district.**
- Provided that increase in net worth arising out of change of status of aspirational district is mandatory at the time of renewal of registration.**
- b. Not less than ten lakh rupees for all other cases.**
- Explanation: For the purposes of these Regulations, “net worth” shall have the meaning assigned to it in the Companies Act, 2013 and as amended from time to time.”*
- 2.11 In Regulation 6.3, the words “do not exceed forty-nine per cent of paid up equity capital or contribution of the Insurance Marketing Firm at any time” shall be substituted, namely: “**shall not exceed such per cent of limits as prescribed by the Central Government from time to time, under Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015.**”.
- 2.12 In Regulation 7, the following provision shall be inserted after Regulation 7.5, namely:
“7.6 On resignation or termination or death of the Principal Officer, the Insurance Marketing Firm shall endeavor to appoint a new Principal Officer at the earliest, and seek approval, within a period not exceeding 60 days, from the Authority.
- Provided that in the absence of a Principal Officer, a whole time director or managing partner or any other senior designated official of the Insurance Marketing Firm may, under intimation to the Authority, be authorized to act and perform the duties of the Principal Officer to meet regulatory compliance requirements only; and shall not solicit insurance business unless they have also undergone the training and passed the examination, and meet all the eligibility criteria of a Principal Officer.**
- The request for change of Principal Officer shall be made in the format specified by the Authority in this behalf.”**
- 2.13 In Regulation 9.2, the words “subject to a minimum of Rupees ten lakh” shall be substituted, namely “**for the preceding financial years subject to a minimum amount equal to the applicable net worth requirement** “:
- 2.14 In Regulation 11.1, the words “of two life, two general and two health insurance companies only” shall be substituted namely, “**as per Regulation 3(a) of these Regulations**”.
- 2.15 In Regulation 11.7, the word “, FSEs” shall be omitted.
- 2.16 In Regulation 12.1, after the words “...suspended or cancelled by the Authority” the following shall be inserted, namely: “**or surrendered by the Insurance Marketing Firm**”
- 2.17 Regulation 12.3 shall be substituted, namely:
“In case the Authority suspends or cancels the registration of an Insurance Marketing Firm, or accepts the surrender of the registration of an Insurance Marketing Firm, the Insurance Marketing Firm shall cease to solicit new insurance business and continue to service the existing policies for a period of six months within which suitable arrangements shall be made by the Insurance Marketing Firm for having the contracts attended to and serviced by respective insurers or by any other intermediary with the approval of the Authority.”

2.18 Regulation 13.3 and Regulation 15.3 shall be substituted, namely

“Any applicant, aggrieved by the order of the Authority, may appeal to the Securities Appellate Tribunal.”

2.19 Regulation 13.4 and Regulation 15.4 shall be substituted, namely:

“If the application is rejected and the applicant chooses not to appeal against the order of rejection of the application or in case Securities Appellate Tribunal rejects the appeal, the applicant may make a fresh application for issuance of certificate of registration after lapse of one year from effective date of such order of the Authority or the Securities Appellate Tribunal, as the case may be, for consideration by the Authority. The Authority may consider such application on merit.”

2.20 Regulation 13.5 and Regulation 13.6 shall be omitted.

2.21 In Regulation 14.2(a), before the words “Submit an undertaking” the following shall be inserted, namely **“The applicant shall”**

2.22 In Regulation 14.3, the words “plus service tax” shall be omitted. The second proviso shall be substituted, namely: **“Provided further that the Authority may consider applications received after 60 days but before one year of the expiry of the registration based on merits and on payment of a penalty of seven hundred and fifty rupees.”**

2.23 Regulation 15.5 and Regulation 15.6 shall be omitted.

2.24 In Regulation 25, the words “exceeding 10%” shall be substituted, namely **“exceeding 25%”**.

2.25 In Regulation 26, after words “the following records” the following shall be inserted, namely **“in physical form or electronic form or both”**; the word “PMLA” shall be substituted, namely: **“The Prevention of Money-laundering Act, 2002”** and the words “with ACR” shall be substituted, namely **“duly”**.

2.26 In Regulation 27, the words “by the Insurance Marketing Firm” in the heading shall be omitted.

2.27 In Regulation 27.1, the word ‘prescribed’ shall be substituted, namely: ‘specified’.

2.28 Regulation 27.2 shall be substituted, namely:

“The Insurance Marketing Firm shall set up necessary IT systems with a capability of obtaining and monitoring:

- a) **Payment of minimum wages to the ISP by the Insurance Marketing Firm;**
- b) **Details of each ISP on the rolls of the Insurance Marketing Firm unless he ceases to be an ISP of the Insurance Marketing Firm due to death or termination or resignation from the services of the Insurance Marketing Firm subject to informing the same to the Authority within 15 days of such incidence. The IMF shall ensure that there shall be at least one ISP per Office at all times. However, in case of death or termination or sudden exit of an ISP, the IMF must appoint an ISP immediately, but not later than 60 days of death/termination/exit of ISP and provide continuity of services to their existing policyholders without causing any inconvenience.**
- c) **Any addition of ISPs shall also be intimated to the Authority within 15 days of the appointment.”**

2.29 In Regulation 27, the following provision shall be inserted after Regulation 27.2, namely:

“27.3 Responsibilities of the insurers towards the Authority

(a) Every insurer shall:

- i. **File with the Authority, annually, a copy of the policy formulated by the company, for utilization of IMFs for penetration of insurance.**
- ii. **File with the Authority, changes if any made in the policy submitted as stated in clause (i) above, within 15 days of such change with reasons thereof.**

(b) Post issuance of the registration to an IMF, in case the insurer comes to know about any incidence of fraud or violation of code of conduct by the IMF, the insurer shall carry out detailed enquiry into such violation, and submit detailed confidential report to the Authority along with recommendations within 30 days.”

2.30 In Part I of Schedule I, clause (e) and (f) following shall be substituted, namely:

- “(e) Graduate with Insurance experience of two years preceding the year in which the application is made;
or
(f) Graduate with five years of experience in financial services sector preceding the year in which the application is made”.

2.31 In Part I of Schedule I, after clause (f) following shall be inserted, namely:

“

- (g) Master’s in Business Administration or its equivalent from any institution / university recognized by UGC / AICTE / any State Government or the Govt. of India; or
(h) Associate / Fellow of the Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi; or
(i) Associate / Fellow of the Institute of Cost Accountants of India, Kolkata; or
(j) Executive/Professional of the Institute of Company Secretaries of India, New Delhi; or
(k) Any other qualification specified by the Authority from time to time.”

2.32 In Part II of Schedule I, after clause (c) the following shall be inserted, namely:

- “(d) If the proposed Principal Officer has undergone training and passed examination as required for the Principal Officer of an insurance broking company / Corporate Agent / Web Aggregator, then he / she shall be exempted from training and examination requirement to become the Principal Officer of the Insurance Marketing Firm.

Provided that the training and examination was undertaken within a period of five years preceding the date of application as Principal Officer of the IMF.”

2.33 In Part I of Schedule II, clause (C) shall be substituted, namely:

“ISPs engaged by the Insurance Marketing Firm are allowed to solicit and procure insurance products of those insurers with whom the IMF has entered into tie-up / agreement.”

2.34 In Part II of Schedule II, in clause (c), the word “domiciled” shall be substituted namely, “resident”.

2.35 In Part I of Schedule IV, clause (2) shall be substituted, namely:

“The payment of remuneration and/ or reward to an Insurance Marketing Firm by an insurer shall be as per Insurance Regulatory and Development Authority of India (Payment of commission or remuneration or reward to insurance agents and insurance intermediaries) Regulations, 2016 (as amended from time to time).

In addition, the Insurance Marketing Firm may receive reimbursement of expenses from Life insurers towards recruitment, training and mentoring of their ISPs. This reimbursement shall not exceed 50% of first year commission and 10% of renewal commission received by the IMF in case of Life insurers.”

2.36 In Part II of Schedule IV, sub clause (i) of clause (1) shall be substituted, namely:

“Every ISP employed by the Insurance Marketing Firm shall be paid a fixed minimum monthly salary as per the applicable laws. Variable pay over and above the fixed monthly salary may also be payable depending on the arrangement between the IMF and the ISP.”

2.37 In Part II of Schedule IV, sub clause (i) of clause (2) shall be omitted and sub clause (ii) shall be substituted, namely:

“An individual agent cannot migrate or join Insurance Marketing Firm as PO / ISP / Managing Partner / Director unless he has resigned from his existing agency appointment and meets the eligibility criteria as specified in these Regulations.

Provided that the continuation of agency benefits of an agent migrating to or joining an Insurance Marketing Firm shall be governed by the Board approved policy of the respective insurers”.

2.38 In Part II of Schedule IV, in sub clause (iii) of clause (2), the word “licensed” shall be substituted, namely: “employed”

2.39 In Part III of Schedule IV, in clause (1) the word “domiciled” shall be substituted, namely “resident” and clause (2) and (3) shall be substituted, namely:

“(2) The “Area” is defined as the district for which the registration of the Insurance Marketing Firm is valid. Maximum of three districts within a State are allowed for registration/renewal.

(3) The Area selected by the Insurance Marketing Firm shall be clearly mentioned in the application Form A and renewal application Form AA while submitting the application to the Authority.

Provided that if an applicant is opting for more than one district, then at least one of the districts shall be aspirational.

Provided further that any addition of office or change in registered address by the Insurance Marketing Firm shall be done only with prior approval from the Authority. Request for addition of office or change in registered address shall be made to the Authority in the format as may be specified in this behalf."

2.40 In Part III of Schedule IV, in clause (5), the following shall be substituted, namely: **"The Insurance Marketing Firm may apply for more areas subject to maximum of three districts while filing the application for Renewal of Registration".**

2.41 In Part III of Schedule IV, in clause (6) shall be substituted, namely:

"(6) The Insurance Marketing Firm shall specify the details of the offices to be set up in the Area opted; including manpower deployment in the application form for fresh registration and renewal. The additional areas opted at the time of renewal shall be considered on merits.

Provided that if the Insurance Marketing Firm has more than one office, it will ensure that each office shall have at least one ISP."

2.42 In Part II of Schedule V, sub clause (ii) and (iii) of clause (a) shall be substituted, namely:

**"ii. any change in the engagement with the insurers;
iii. any addition or deletion of ISPs;"**

2.43 In Part II of Schedule VIII,

a. Clause 5 shall be substituted, namely:

"The Insurance Marketing Firm, aggrieved by the Order of the Authority, may appeal to the Securities Appellate Tribunal."

b. Clause 6 shall be substituted namely:

"In case the Securities Appellate Tribunal after consideration of the application made under Clause 5 above, rejects the appeal, the applicant can make a fresh application for grant of registration only after one year from the date of final rejection. The Authority may consider such application on merit."

c. Clause 7 shall be omitted.

d. Clause 8 shall be omitted.

2.44 In Schedule X, 4(b) shall be omitted.

2.45 In Form-A,

a) Table under Clause 1.6 shall be substituted, namely:

“

Sl. No.	Details of Activities	please 'tick' wherever applicable
1.	undertaking back office activities of insurers as allowed in the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Outsourcing of Activities by Indian Insurers) Regulations, 2017	
2.	becoming approved person of Insurance Repositories	

”

b) In Clause 2.5 the words "The IMF and ISPs working under them may open account with those Bankers who have entered into an agreement with the Authority for providing information relating to payments made by IMF to ISPs on a regular basis for monitoring)" shall be omitted.

2.46 In Annexure-1, S. No. (a), the word "FMC" shall be omitted.

- 2.47 In Form B, Table under Clause 2, item (c) shall be omitted.
- 2.48 In Form C, Table under Clause 2, item (c) shall be omitted.
- 2.49 In Form D, Table under Clause 3, item (c) shall be omitted.
- 2.50 In Form D, Clause 4 shall be omitted.
- 2.51 In Form AA, in Clause 2.5, the words “(State Bank of India)” shall be omitted.
- 2.52 The Form titled “CERTIFICATE TO ACT AS INSURANCE SALES PERSON FOR AN INSURANCE MARKETING FIRM” shall be omitted.

Dr. SUBHASH C. KHUNTIA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty/151/19]